### भारत सरकार

#### **GOVERNMENT OF INDIA**



असाधारण

## EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] No. 246] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2016/अग्रहायण 7, 1938

ि रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 244

DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2016/AGRAHAYANA 7, 1938

[N.C.T.D. No. 244

भाग—IV PART—IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

#### GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## परिवहन विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

फा. सं. 19(96) / परि. / सचि. / 2010 / 228. — मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा—115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि जनसुरक्षा की दृष्टि से तथा आम जनता की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों / क्षेत्र पर भारी मालवाहन, मझोले माल वाहन तथा हल्के माल वाहनों के आने — जाने को विनियमित करने हेतु अधिसूचना फा. सं. 19 (96) / परि. / सचि. / 2010 / 16, दिनांक 05 फरवरी, 2016, के निषेध समय को 31 जनवरी, 2017 तक अधिसूचना फा. सं. सचिव 10 / (164) / परि. / 98 / 625 दिनांक 11, फरवरी, 2000 के साथ संलग्न अनुसूची में वाहन की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित सड़कों पर तथा क्षेत्रों में भारी वाहन, मझोले वाहन तथा हल्के वाहन चलाने तथा खड़े रखने निष्प्रयोजन पार्किंग निम्न रूप में संशोधित किया जाता है ।

संख्या न.	फरवरी, 2000 की		दिनाकं 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना के अनुसार निषेध समय	
1.	परिशिष्ट — 2	54	प्रात: 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।	प्रात: 07:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ।
2.	परिशिष्ट — 3	29		प्रात: 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ।

5468 DG/2016 (1)

3.	परिशिष्ट — ४	121	प्रात: 07:00 बजे से 11:00 बजे	प्रात: 07:00 बजे से 11:00 बजे तक
			तक तथा सायं 05:00 बजे से	तथा सायं 05:00 बजे से मध्य रात्रि
			रात्रि 11:00 बजे तक ।	12:00 बजे तक ।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, विनय कुमार मोंगिया, उप सचिव (राज्य परिवहन प्राधिकरण)

# TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 25th November, 2016

**F. No. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/228.**—In exercise of the powers conferred by section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public of Delhi to regulate movement of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on roads/areas of National Capital Territory of Delhi, do hereby amend the Notification F. No. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/16 dated the 5<sup>th</sup> February, 2016 for the purpose of the prohibition timing of plying and idle parking of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on the roads and areas against each category of vehicle as enlisted in the Schedule annexed with the Notification F. No. Sece. 10(164)/Tpt/98/625 dated the 11<sup>th</sup> February, 2000 in the following manner till 31<sup>st</sup> January, 2017:-

Sr. No.	Annexure Number of Notification dated 11 <sup>th</sup> February, 2000.	Number of roads/areas in the Annexure.	Prohibition timings as per the existing Notification dated 5 <sup>th</sup> February, 2016.	Amended Prohibition timings (till 31 <sup>st</sup> January, 2017)
1.	Annexure - 2	54	07:00 AM to 11:00 PM	07:00 AM to 12:00 Mid-Night
2.	Annexure - 3	29	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 12:00 Mid-Night
3.	Annexure - 4	121	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 12:00 Mid-Night

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, V. K. MONGIA, Dy Secy. (State Transport Authority)